औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

विषय सूची

अध्याय 1

प्रारंभिक

धारायें:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं
2-क. एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना

अध्याय 2

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. कर्म समिति
4. सुलह अधिकारी
5. सुलह बोर्ड
6. जांच न्यायालय
7. श्रम न्यायालय
7क. अधिकरण
7ख. राष्ट्रीय अधिकरण
7ग. श्रम न्यायालयों अधिकरण, और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिये निरर्हताएं
8. रिक्तियों का भरा जाना
9. बोर्डो आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता

अध्याय 2-क

तब्दीली की सूचना

9-क. तब्दीली की सूचना
9-ख. छूट देने की सरकार की शक्ति

अध्याय 3

विवादों का बोर्डों न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश

10. विवादों का बोर्डों न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश
10-क. विवादो का माध्यस्थम् के लिये स्वेच्छया निर्देश.

अध्याय 4

प्राधिकारियों की प्रक्रिया शक्तियां और कर्त्तव्य

11. सुलह अधिकारियों बोर्डो न्यायालयों और अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ
11-क. कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों अधिकरणो और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति
12. सुलह अधिकारियों के कर्त्तव्य
13. बोर्ड के कर्त्तव्य
14. न्यायालयों के कर्त्तव्य
15. श्रम न्यायालयों अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्त्तव्य
16. रिपोर्ट या अधिनिर्णय का प्ररूप
17. रिपोर्टों और अधिनिर्णयों का प्रकाशन
17क. अधिनिर्णय का प्रारम्भ
17ख. उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय
18. वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे
19. समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की कालावधि
20. कार्यवाहियों का प्रारम्भ और उनकी समाप्ति
21. कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना

अध्याय 5

हडताल और तालाबंदी

22. हड़तालों और तालाबन्दियों का प्रतिषेध
23. हड़तालों और तालाबन्दियों का साधारण प्रतिषेध
24. अवैध हड़तालें और तालाबन्दियां
25. अवैध हड़तालों और तालाबन्दियों के लिये वित्तीय सहायता का प्रतिषेध

अध्याय 5 क

कामबंदी और छंटनी

25.क. धारा 25 ग से लेकर धारा 25 ड तक का लागू होना
25.ख. निरन्तर सेवा की परिभाषा
25.ग. जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर के लिये अधिकार
25.घ. कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्त्तव्य
25.ड. कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिये हकदार न होना
25.च. कर्मकार से की छंटनी के लिये पुरोभाव्य शर्ते
25-चच.उपक्रमों के अन्तरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर
25-चचक. किसी उपक्रम को बन्द करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना
25-चचच. उपक्रमों के बंद कर दिए जाने की दशा मे कर्मकारों को प्रतिकर

25-छ. छंटनी के लिए प्रक्रिया
25-ज. छंटनी किए गए कर्मकारों का पुनःनियोजन
25-झ. निरसित
25-ञ. इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव

अध्याय 5-ख
कतिपय स्थापनों में कामबंदी छंटनी और उनके बन्द किये जाने के संबंध में विशेष उपबंध

25-ट. अध्याय 5 ख का लागू होना
25-ठ. परिभाषाएं
25-ड. कामबन्दी का प्रतिषेध
25-ढ. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्ते
25-ण. उपक्रम बन्द किए जाने की प्रक्रिया
25-त. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व बन्द किए गए उपबन्धों को पुन: चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध
25-थ. पूर्व अनुज्ञा के बिना कामबन्दी या छंटनी के लिए शास्ति
25-द. बन्द करने पर शास्ति
25-ध. ऐसे औद्योगिक स्थापन को, जिसे यह अध्याय लागू, होता है, अध्याय 5क के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

अध्याय 5 -ग
अनुचित श्रम व्यवहार

25-न. अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध.
25-प. अनुचित श्रम व्यवहार के लिए शास्ति

अध्याय 6
शास्तियाँ

26. अवैध हड़तालों और तालाबंदियो के लिए शास्ति
27. उकसाने आदि के लिए शास्ति
28. अवैध हड़तालों और तालाबन्दियों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति
29. समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति
30. गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति
30-क. बिना सूचना दिए बन्दी के लिए शास्ति
31. अन्य अपराधों के लिए शास्ति

अध्याय 7
प्रकीर्ण

32. कम्पनियों आदि द्वारा अपराध
33. कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तो आदि का कतिपय परिस्थितियों में न बदला जाना
33-क. यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबन्ध कि कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्ते आदि बदली हैं या नहीं
33-ख. कतिपय कार्यवाहियों को अन्तरित करने की शक्ति
33-ग. नियोजक से शोध्य धन को वसूली
34. अपराधों का संज्ञान
35. . व्यक्तियो का संरक्षण
36. पक्षकारो का प्रतिनिधित्व
36-क. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
36-ख. छूट देने की शक्ति
37. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण
38. नियम बनाने की शक्ति
39. शक्तियों का प्रत्यायोजन
40. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति
पहली अनुसूची
दूसरी अनुसूची
तीसरी अनुसूची
चौथी अनुसूची
पांचवी अनुसूची

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

[1947 का अधिनियम संख्यांक 14][1]

[11 मार्च, 1947]

औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के लिये और कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि औधोगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के लिये और इसमें इसके पश्चात् वर्णित कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिये उपबन्ध किया जाए;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 कहा जा सकेगा।

[2][(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।]

(3) यह 1947 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत होगा।

2. परिभाषाए-इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो-

(क) "समुचित सरकार" से---

[(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा [4][.....] या उसके प्राधिकार के अधीन या किसी रेल कम्पनी द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग से संपृक्त [5][.....] अथवा किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से संपृक्त जो केन्द्रीय सरकार [6][.....] द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए,] किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में [7][.....] या, [8][[9][[10][[11][डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9), की धारा 5-क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड या [1][कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन स्थापित एव पजीकृत] के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 3 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3-क के अधीन गठित न्यासी बोर्ड या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की क्रमश; धारा 5 क और धारा 5 ख के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और राज्य न्यासो बोर्ड या [2][* * *] या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या पंजीकृत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड या निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) को धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और

प्रत्यय प्रत्याभूति निगम, या भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागारण निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) को धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम, या दो अथवा दो से अधिक समीपस्थ राज्यों के लिये धारा 16 के अधीन स्थापित प्रबन्ध बोर्ड, या [4][विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या [5]प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैक, या निर्यात, उधार और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम लिमिटेड [6][राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैक] [7][8][किसी वायु यातायात सेवा या एक बैंकिग या एक बीमा कम्पनी, खान, तेल क्षेत्र] [छावनी बोर्ड] या महापत्तन से संपृक्त औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, तथा]

(ii) किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

[9][कक)] "मध्यस्थ" के अन्तर्गत अधिनिर्णायक आता है;]

[10][[11]ककक) "औसत वेतन" से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो कर्मकार को-

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है उन तीन पूरे कलैण्डर मासों में,

(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताहों में,

(iii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन बारह पूरे कार्य दिवसों में,

सदय थी, जो उस तारीख के पूर्ववर्ती हो जिस तारीख को औसत वेतन सदय हो जाता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेण्डर मास तक या चार पूरे सप्ताह तक या बारह पूरे कार्य-दिवस तक काम किया है, और जहाँ कि ऐसी गणना नही की जा सकती है वहाँ औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार, को उस कालावधि के दौरान संदेय थी, जिसमें उसने वास्तव मे काम किया]

[1][ख) "अधिनिर्णय" से किसी औद्योगिक विवाद के या तत्संबंधी किसी अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किया गया अन्तरिम या अन्तिम अवधारण अभिप्रेत है, और धारा 10-क के अधीन किया गया माध्यस्थम्, पचाट इसके अन्तर्गत आता है,]

[2][(खख) "बैंककारी कम्पनी" से बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 [3](1949 का 10) को धारा 5 में यथापरिभाषित ऐसी बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो और [4][भारतीय निर्यात-आयात बैंक,] [5][भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक,] [6][.....] [7][भारतीय लघु उद्योग विकास बैक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैक, भारतीय रिजर्व बैक, भारतीय स्टेट बैंक, [8](बैंककारी कम्पनी उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5 की धारा 3

के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक [9](बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन ओर अन्तरण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई भी समनुषंगी बैंक इसके अन्तर्गत आते है,]

(ग) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन गठित सुलह बोर्ड अभिप्रेत है;

[1][गग) “बंदी" से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बन्द किया जाना अभिप्रेत है ;]

(घ) “सुलह अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "सुलह कार्यवाही" से किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

[2][(डड) "नियंत्रित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित कर दिया गया है ;]

[3][* * * * *]

(च) "न्यायालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित जांच न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) "नियोजक" से-

(i) [4][केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में, इस निमित्त विहित प्राधिकारी या जहां कि कोई प्राधिकारी विहित नही है, वहां विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है;]

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का मुख्य कार्यापालक अधिकारी अभिप्रेत है;

[5][(छछ) "कार्यपालिका" से किसी व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में, ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध सौप गया हो;]

[6][* * * * *]

(झ) किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति “स्वतंत्र" समझा जाएगा यदि वह ऐसे बोर्ड, न्यायालय, या अधिकरण को निर्देशित औद्योगिक विवाद से या ऐसे विवाद से प्रत्यक्षत; प्रभावित किसी उद्योग से संसक्त नही है “

[7][परन्तु किसी भी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतन्त्र होना समाप्त नही हो जाएगा कि वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी का शेयरधारक है जो ऐसे औद्योगिक विवाद से संसक्त है या जिसका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, किन्तु ऐसी दशा मे वह समुचित सरकार को यह प्रकट करेगा कि उस कम्पनी में उसके द्वारा धारित शेयर किस प्रकार के हैं और कितने के है;]

[8](ञ) "उद्योग" से नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यवसाय उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अन्तर्गत आता है;

(ट) "औद्योगिक विवाद” से नियोजकों और नियोजकों के बीच का, या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम-परिस्थितियों से संसक्त है;

[1][(टक) "औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है जिसमे कोई उद्योग चलाया जाता है ।

परन्तु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से कैवल एक उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग है, वहां,-

(क) यदि ऐसे क्रियाकलाप, जो एक उद्योग है, करने वाले स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटों से पृथक्करणीय है, तो ऐसे यूनिट को एक पृथक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा ;

(ख) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप, एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में चलाया जा रहा अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप पृथक्करणीय नही है और ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाये जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिये, यथास्थिति, सम्पूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;]

[2][(टट) "बीमा कम्पनी" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 में यथापरिभाषित ऐसी बीमा कम्पनी अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो ;)।

[3][टटक) "खादी का वही अर्थ है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 6) की धारा 2 के खण्ड (घ) में है ;]

3[3[टटख)] [श्रम न्यायालय" से धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अभिप्रेत है ;]

[4][(टटट) "कामबंदी" से (उसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक ज्ञापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नही की गई है, कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टाक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण [5][या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से] काम देने में असफलता, इंकार या असमर्थता अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण-हर ऐसे कर्मकार के बारे में, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन प्रसामान्य काम घंटो के दौरान उस समय. जो तत्वयोजनार्थ नियत है, औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिये स्वयं उपस्थित होता है और नियोजक द्वारा उसे काम उसके ऐसे उपस्थित होने कें दो घंटे के अन्दर नहीं दिया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अन्दर उस दिन के लिये कामबंदी की गई है :

परन्तु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारम्भ में काम दिए जाने के बजाय उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध भाग के दौरान उस प्रयोजन के लिये उपस्थित हो और तब उसे काम दिया जाता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिये कामबंदी की गई है:

परन्तु यह और कि यदि उसे इस प्रकार उपस्थित होने के पश्चात् भी ऐसा कोई काम नही दिया जाता है तो उसके बारे में यह न समझा जाएगा कि उसकी उस दिन का पारी के दूसरे अर्धभाग के लिए कामबन्दी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिये पूरी आधारिक मजदूरी और पूरे महगाई भत्ते

का हकदार होगा;

(ठ) "तालाबन्दी" से [1][नियोजन-स्थान का अस्थायी रूप से बन्द कर दिया जाना या काम का निलम्बन, या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इंकार करना अभिप्रेत है ;

[2][(ठक) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है ;

(ठख) "खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है ;]

[3][(ठठ) "राष्ट्रीय अधिकरण" से धारा 7ख के अधीन गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;]

[4][ठठठ] "पदाधिकारी" के अन्तर्गत किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसका कोई भी सदस्य आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत लेखापरीक्षक नहीं आता ;]

(ड) 'विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "लोक उपयोगी सेवा" से अभिप्रेत है-

(i) कोई भी रेल सेवा [5][या वायु सेवा द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये कोई भी परिवहन सेवा;]

[6][(1-क) किसी महापत्तन या डॉक में या उसके कार्यकरण से संबंधित कोई सेवा;

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन का ऐसा अनुभाग, जिसके कार्यकरण पर उस स्थापन का या उसमें नियोजित कर्मकारों का क्षेम निर्भर करता है;

(iii) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा,

(iv) कोई उद्योग जो जनता को शक्ति, रोशनी या जल का प्रदाय करता है;

(v) सार्वजनिक मलवहन या सफाई का कोई तंत्र;

(vi) [1][प्रथम अनुसूची] में विनिर्दिष्ट कोइ ऐसा उद्योग, जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोक आपात या लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उतनी कालावधि के लिये, जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, लोक उपयोगी सेवा घोषित करे: परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमत: छह महीने से अधिक की न होगी, किन्तु उसे वैसी ही अधिसूचना द्वारा एक समय में छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिये समय-समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोक आपात या लोक हित में इस प्रकार बढाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है;

(ण) "रेल कम्पनी" से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 3 में यथापरिभाषित रेल कम्पनी अभिप्रेत है ;

[2][(णण) "छंटनी" से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिये गये दण्ड से भिन्न किसी भी कारण से किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते है-

(क) कर्मकार की स्वेच्छया निवृत्ति अथवा

(ख) अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृति जिसमें नियोजक और संपृक्त कर्मकार के बीच हुए किसी नियोजन संविदा में उस निमित्त कोई अनुबन्ध अन्तर्विष्ट

हो; अथवा

[3][(खख) नियोजक और संपृक्त कर्मकार के बीच हुए नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित्त अन्तर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान; या"]

(ग) इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान कि उसका स्वास्थ बराबर खराब रहा है;

[4][(त) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है, जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हो जैसी विहित की जाए और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को या सुलह अधिकारी को भेज दी गई हों;]

(थ) “हडताल” से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित है या नियोजित रहे है, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इंकार करना या सामान्य मति से इंकार करना अभिप्रेत है;]

[1][(थथ) "व्यवसाय संघ" से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है,

[2][(द) “अधिकरण” से धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन 10 मार्च, 1957 के पहले गठित औद्योगिक अधिकरण आता है,

[1][(दक) “अनुचित श्रम व्यवहार" से पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवहारों में से कोई व्यवहार अभिप्रेत है;]

(दख) "ग्रामोद्योग" का वही अर्थ है जो खादों और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खण्ड (ज) और में है ;]

[3][(दद) "मजदूरी” से धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी कर्मकार को यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किये गये काम की बावत उसे संदेय होता और इसके अन्तर्गत आते है:-

(i) (मंहगाई भत्ता सहित) ऐसे भत्ते जिनके लिये कर्मकार तत्समय हकदार है;

(ii) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी सेवा का या खाद्यानों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का मूल्य,

(iii) कोई यात्री रियायत;

[1][(iv) विक्रय या कारबार या दोनों के संवर्धन के लिये संदेय कोई कमीशन;

किन्तु इसके अन्तर्गत निन्नलिखित नही आते हैं-

(क) कोई बोनस;

(ख) किसी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन किसी पेशन-निधि या भविष्य-निधि में या कर्मकार के फायदे के लिये नियोजक द्वारा संदत या संदेय कोई अभिदाय;

(ग) उसकी सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान;]

4(घ) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिशु के आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाडे या इनाम के लिये कोई शारीरिक, अकुशल. कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिये नियोजित है, चाहे नियोश्जन के निबन्धन अभिव्यक्त हो या विवक्षित, और किसी औद्यिगिक विवाद के सबध मे इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनो के लिये इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबध में या उनके परिणामस्वरूप पदच्युति, या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो-

(i) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; अथवा

(ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा

(iii) मुख्यत; प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो, अथवा

(iv) पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास एक हजार छः सौ रुपये से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्र कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यत; प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं।

[1]**[2-क एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना-**जहां कि कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है, या उसकी छंटनी कर देता है, या उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर देता है, वहा ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार और न कर्मकारों का कोई संघ उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा ।]

अध्याय 2
इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. कर्म समिति-(1) ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमे एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी की वह नियोजकों के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कर्म समिति विहित रीति से गठित करे, किन्तु ऐसे कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो । कर्मकारों के प्रतिनिधि उस स्थापना में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से, यदि कोई हों, परामर्श करके चुने जायेंगे ।

(2) कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे सम्बन्ध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय संप्रवृत करे और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर

जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनसे उनका सामान्य सरोकार है, टीका-टिप्पणी करे और ऐसे मामलों की बावत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे।

4. सुलह अधिकारी-(1) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो औद्योगिक विवादो में मध्यस्थता करने और उनमें समझौता कराने के कर्त्तव्य से भारित किए जायेंगे।

(2) सुलह अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये, या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगो के लिये, या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगो के लिए, और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

5. सुलह बोर्ड-(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, औद्योगिक विवाद का समझौता संप्रवृत करने के लिये सुलह बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो या चार अन्य सदस्यों से, जैसा भी समुचित सरकार ठीक समझे, गठित होगा।

(3) अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर-बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा |

परन्तु यदि कोई पक्षकार यथापूर्वोक्त सिफारिश विहित समय में करने में असफल रहे तो समुचित सरकार उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वह उचित समझे ।

(4) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा बोर्ड, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य-संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा ;

परन्तु यदि समुचित सरकार बोर्ड को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष या उसके किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो बोर्ड तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

6. जांच न्यायालय–(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, किसी औद्योगिक विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले की जांच के लिये जांच न्यायालय का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी ।

(2) न्यायालय एक स्वतन्त्र व्यक्ति से या उतने स्वतन्त्र व्यक्तियों से, जितने समुचित सरकार ठीक समझे, गठित हो सकेगा और जहां कि कोई न्यायालय दो या अधिक सदस्यों से गठित हो वहा उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

(3) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा न्यायालय, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य-संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा :

परन्तु यदि समुचित सरकार न्यायालय को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो न्यायालय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नही कर दिया जाता ।

[1][**7. श्रम न्यायालय**–](1) समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिये और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिये, जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौपे जाएं, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी।

(2) श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिये तब तक अहित नहीं होगा जब तक कि वह-

[1][(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

(ख) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, अथवा

[2][* * * *]

[3][(घ) भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष तक धारण न कर चुका हो, अथवा

[3][(ड) किसी प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो ।

[4]**7-क. अधिकरण**–(1) समुचित सरकार, चाहे द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय सम्बन्धी औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिये 5[और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिये जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी।

(2) अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिये तब तक अहित नहीं होगा जब तक किए वह-

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

[(कक) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो। [7][***]]

(4) समुचित सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिये दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

7-ख. राष्ट्रीय अधिकरण–(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिये जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्च के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है या जो इस प्रकृति के है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना, या उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिये तब तक अहित नहीं होगा [1][जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो।]

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही मे सलाह देने के लिये, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

[2]**7-ग. श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिये निरर्हताएं-**कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, और न बना रहेगा यदि-

(क) वह स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं है, अथवा

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।]

[3]**[8. रिक्तियों का भरा जाना-**यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में (अस्थायी अनुपस्थिति से मित्र) कोई रिक्ति किसी भी कारण से हो जाती है तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा मे केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य दशा में समुचित सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त करेगी, और कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भरी जाती है, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी।

9. बोर्डों आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता-(1) समुचित सरकार का या केन्द्रीय सरकार का कोई भी आदेश, जिससे किसी व्यक्ति की नियुक्ति, बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकारण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई हैं, किसी भी रीति से प्रश्नगत नही किया जाएगा; और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष का कोई भी कार्य या कार्यवाही ऐसे बोर्ड या न्यायालय में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(2) सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई भी समझौता केवल इस तथ्य के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा समझौता, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (6) में या धारा 13 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् किया गया था।

(3) जहाँ कि बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए किसी समझौते की रिपोर्ट पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी हस्ताक्षर कर देते हैं वहां ऐसा समझौता, केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान बोर्ड के सदस्यो में से (जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष आता है) कोई आकस्मिक अथवा अपूर्वकल्पित रूप मे अनुपस्थित था ।]

[4][अध्याय 2-क
तब्दीली की सूचना

9-क. तब्दीली की सूचना - कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों मे किसी ऐसे विषय की बावत, जो चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई तब्दीली करने की प्रस्थापना करता है-

(क) ऐसे कर्मकार को, जिस पर ऐसी तब्दीली का प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, प्रस्थापित तब्दीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिए बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना दने के इक्कीस दिन के भीतर, ऐसी तब्दीली नहीं करेगा;

परन्तु ऐसी कोई तब्दीली करने के लिये उस दशा में किसी भी सूचना की अपेक्षा नही होगी जिसमें कि-

(क) तब्दीली [1][किसी समझौते या अधिनिर्णय] के अनुसरण में की गई है; अथवा

(ख) वे कर्मकार, जिन पर उस तब्दीली का प्रभाव पड़ना सभाव्य हो, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फंडामेटल एण्ड सप्लीमेंटरी रूल्स अर्थात् मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स अर्थात् सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सर्विसेज (टेम्पोरेरी सर्विस) रूल्म अर्थात् सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, रिवाइज्ड लीव रूल्स अर्थात पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सर्विस रेग्युलेशन अर्थात् सिविल सेवा विनियम, सिविलियन्स इन डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स अथवा रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं।

9-ख. छूट देने की सरकार की शक्ति-जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 9-क के उपबन्धों का लागू होना उससे सम्बद्ध नियोजको पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से सम्प्रक्त उद्योग पर गम्भीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोकहित ऐसा अपेक्षित करता है, वहा समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि

उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नही होंगे या ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 3
विवादों का बोर्डों न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश

10. विवादों का बोर्डों. न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश–(1) [2][जहां कि सुमचित सरकार की यह राय है कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय-

(क) उस विवाद का समझौता कराने के लिए उसे बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

(ख) विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिये न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

[3](ग) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यायनिर्णयन के लिये किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

(घ) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिये किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी :

परन्तु जहां कि विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे एक सौ से अधिक कर्मकारों पर प्रभाव पड़ना सम्भाव्य न हो वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो खण्ड (ग) के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगी;]

[1][परन्तु यह और कि] जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतया या तंग करने के लिये दी गई है, या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बावत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां प्रारम्भ हो चुकी हो, इस उपधारा के अधीन निर्देश करेगी।

[2][परन्तु यह और कि जहा विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है वहां वह सरकार, विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को, निर्देशित करने के लिये सक्षम होगी।]

[2][(1-क जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापना का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्याय-निर्णीत होना चाहिए वहां केन्द्रीय सरकार, चाहे वह उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को

या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हों, न्यायनिर्णयन के लिये लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी ।

(2) जहां कि औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय [4][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को किए जाने के लिये विहित रीति से, चाहे संयुक्तत: चाहे पृथक्त: आवेदन करते हैं, वहां यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह तदनुसार निर्देश करेगी।

[5][(2-क) इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के सम्बन्ध मे अपना अधिनिर्णय सरकार को, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहा ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार से संबंधित है वहा ऐसी कालावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से, चाहे संयुक्तत: या पृथकत: ऐसी कालावधि के विस्तार के लिये या किसी अन्य कारण से, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं, और यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिये कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि की, यदि कोई हो, संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था, अपवर्जित की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के पूर्व, समाप्त हो गई थी ।]

(3) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के ससंग मे की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी का, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

[2][(4) जहां कि किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिये विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं वहां यथास्थिति, [4][श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपने न्यायनिर्णयन को उन प्रश्नो और उनसे आनुषंगिक विषयों तक ही सीमित रखेगा।

(5) जहां कि किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से समपृक्त कोई विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है और समुचित सरकार की राय, या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह हो कि विवाद इस प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य, स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, यहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व, उस निर्देश में ऐसे स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो या उसके होने की आशका हो या न हो ।

(6) जहां कि कोई निर्देश उपधारा (1-क) के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर, जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन हो, न्यायनिर्णयन की अधिकारिता नहीं होगी, और तदनुसार,-

(क) यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्षा की किसी कार्यवाही में लम्बित है तो यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही, जहां तक कि वह ऐसे मामले से सम्बन्धित है, राष्ट्रीय अधिकरण को ऐसे निर्देश पर अभिखण्डित हो गई समझी जाएगी; तथा

(ख) समुचित सरकार के लिये विधिपूर्ण नहीं होगा कि यह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला, ऐसे मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करे ।

[2]**[स्पष्टीकरण-**इस उपधारा में "श्रम न्यायालय या "अधिकरण" के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित हो।

(7) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार नही है, राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया जाता है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवाद के सम्बन्ध में धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 33 क, धारा 33, ख और धारा 36, क में समुचित सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार के प्रति

निर्देश है किन्तु यथापूर्वोत के और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्तत; उपबन्धित हो उसके सिवाय, उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार के प्रति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी निर्देश से राज्य सरकार के प्रति निर्देश अभिप्रेत होगा ।

[3][(8) किसी औद्योगिक विवाद के संबध में श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की, जो कर्मकार है, मृत्यु हो गई है और ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करेगा और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[4][**10-क. विवादों का माध्यस्थम् के लिये स्वेच्छया निर्देश-,**(1) जहां कि कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद, माध्यस्थम् के लिये निर्देशित किए जाने के लिये सहमत हों, वहां वे विवाद के धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किए जाने से पूर्व किसी भी समय विवाद को लिखित करार द्वारा, माध्यस्थम् के लिये निर्देशित कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को (जिनके अन्तर्गत श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी आता है) जिन्हें माध्यस्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाएं मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा।

[1][(1क) जहां कि माध्यस्थम् करार यह उपबन्ध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्देशित किया जाए वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबन्ध करेगा जो निर्देश पर उस समय कार्यारंभ करेगा जब मध्यस्थ राय में बराबर बंटे हो और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट माध्यस्थम् करार ऐसे प्रारूप मे होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे जैसी विहित की जाए ।

(3) माध्यरथम् करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और समुचित सरकार, ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से [2][एक मास के भीतर, उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(3-क) जहाँ कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्देश करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहा समुचित सरकार, उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी रीति से अधिसूचना निकाल सकेगी, और जैसी विहित की जाए, और जब ऐसी कोई अरधिसूचना निकाली गई हो, तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार नही हैं किन्तु विवाद से संपृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाएगा ।

(4) मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा, या करेंगे और यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी

मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम पंचाट, समुचित सरकार को निवेदित करेगा या करेंगे ।

(4-क) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिये निर्देशित किया गया है और उपधारा (3-क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हडताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(5) माध्यस्थम् अधिनियम. 1940 (1940 का 10) की कोई बात इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नही होगी ।

अध्याय 4
प्राधिकारियों की प्रक्रिया शक्तियां और कर्तव्य

11. सुलह अधिकारियों. बोर्डों न्यायालयों और अधिकरणो की प्रक्रिया और शक्तियां–[3][(1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, मध्यस्थ, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी मध्यरथ या अन्य प्राधिकारी, जो संपृक्त हो, ठीक समझे ।

(2) सुलह अधिकारी, या बोर्ड का सदस्य, [1][या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी], किसी विद्यमान या आशंकित औद्योगिक विवाद की जाँच के प्रयोजन के लिये, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, किसी ऐसे परिसर मे प्रवेश कर सकेगा जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो जिससे वह विवाद संबद्ध हो।

(3) हर बोर्ड, न्यायालय, [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण, और राष्ट्रीय अधिकरण को निम्नलिखित विषयों की बावत, अर्थात:-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए,

(ख) दस्तावेज और भौतिक पदार्थ पेश करने को विवश करने के लिए;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालने के लिए;

(घ) ऐसे अन्य विषयों की बावत, जैसे विहित किए जाएं;

वही शक्तियां होगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित होती हैं और बोर्ड, न्यायालय, [3][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा की जाने वाली हर जाँच या अन्वेषण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा, 193 और 228 के अर्थ के अन्दर न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

(4) सुलह अधिकारी [4][किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा या किसी दस्तावेज को मंगा सकेगा] और उसका निरीक्षण कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह समझने का आधार हो कि वह औद्योगिक विवाद से सुसंगत है [5][या किसी अधिनिर्णय के कार्यान्वयन को सत्यापित करने या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित

किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक है और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेजों को पेश करने के लिये विवश करने की बावत सुलह अधिकारी को वे ही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है ।

[7][(5) यदि न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसा करना ठीक समझे तो वह विचाराधीन विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को अपने समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिये असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(6) सभी सुलह अधिकारी, बोर्ड या न्यायालय के सदस्य और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझे जायेंगे।

[1][(7) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के और उससे आनुषंगिक खर्चो को दिलाना इस अधिनियम के अधोन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के विवेकाधिकार में होगा और, यथास्थिति, उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को यह अवधारित करने की, कि ऐसे खर्च जिसके द्वारा और जिसको और कितने तक तथा किन शर्तो के यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए दिए जाने हैं और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक निदेश देने की पूरी शक्ति होगी और ऐसे खर्च हकदार व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को आवेदन किए जाने पर, उस सरकार द्वारा उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

[2][(8) हर [3][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] [4][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 और 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

[5][**11-क. कर्मकारों को सेवोनुक्त या पदच्यूत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों, अधिकरणों ओर राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति-**जहां किसी कर्मकार की सेवामुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औधोगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया हो तथा, न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुक्रम में यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए, कि सेवामुक्ति या पदव्च्युति का आदेश न्यायोचित नही है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार का ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अन्तर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतर दण्ड का अधिनिर्णय भी है, दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य नही लेगा।

12. सुलह अधिकारियों के कर्त्तव्य–(1) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशका है, वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्यवाहियां कर सकेगा या जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हैं और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई है, वहाँ वह ऐसी कार्यवाहियां विहित रीति से करेगा।

(2) सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिये विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्द्रपूर्ण समझौता करने के लिये पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बाते कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ।

(3) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है, तो सुलह अधिकारी समुचित सरकार [1][या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्तांतरित समझौता-ज्ञापन सहित भेजेगा ।

(4) यदि ऐसा कोई समझौता नही हो पाता है तो सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से सम्बद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिये उसके द्वारा उठाए गए कदम और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा-पूरा विवरण और वे कारण भी, जिनसे उसकी राय में समझौता नही हो सका, उपवर्णित होंगे ।

(5) यदि उपधारा (4) मे निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि बोर्ड [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को निर्देश करने के लिये मामला बनता है तो वह ऐसा निर्देश कर सकेगी । जहां कि समुचित सरकार ऐसा निर्देश नही करती वहा यह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और संपृक्त पक्षकारों को संसूचित करेगी ।

(6) इस धारा के अधीन रिपोर्ट, सुलह कार्यवाहियां प्रारम्भ होने के चौदह दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, निवेदित की जाएगी;

[3][परन्तु [4][सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों के लिखित रूप में सहमति हो जाए।

13. बोर्ड के कर्त्तव्य–(1) जहां कि कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है वहां बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करे और बोर्ड इस प्रयोजन के लिये विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसका ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब और ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्द्रपूर्ण समझौता करने के लिये पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर

सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे।

(2) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुकम में हो जाता है तो बोर्ड समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन सहित, भेजेगा।

(3) यदि ऐसा कोई समझौता नही हो पाता है तो बोर्ड अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से सबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाहियों और उठाए गए कदम और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा-पूरा विवरण, उन पर उसके निष्कर्ष और वे कारण जिनसे उसकी राय मे समझौता नही हो सका तथा विवाद का अवधारण कराने के लिये उसकी सिफारिशे उपवर्णित होंगी।

(4) यदि लोक उपयोगी सेवा से सम्बद्ध विवाद की बावत उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर समुचित सरकार धारा 10 के अधीन [1][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के निर्देश नही करती तो वह उसके लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी और संपृक्त पक्षकारो को संसूचित करेगी।

(5) बोर्ड इस धारा के अधीन अपनी रिपोर्ट, उस तारीख से, जिसको उसे विवाद निर्दिष्ट किया गया था दो मास के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर, जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, निवेदित करेगा :

परन्तु समुचित सरकार रिपोर्ट निवेदित करने का समय ऐसी अतिरिक्त कालावधियों के लिए, जो कुल मिलाकर दो मास से अधिक की न होगी, समय-समय पर बढा सकेगी।

परन्तु यह और कि रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिये बढाया जा सकेगा, जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए ।

14. न्यायालयों के कर्त्तव्य-न्यायालय अपने को निर्देशित मामलों की जाँच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार, को जाँच के प्रारम्भ से मामूली तौर पर छह महीनों की कालावधि के भीतर देगा।

[3]**[15. श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्त्तव्य-**जहाँ कि कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित किया गया है वहां वह अपनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक करेगा और [4][ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या धारा 10 की उपधारा (2क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विस्तारित अतिरिक्त कालावधि के भीतर अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को निवेदित करेगा।]

[1]**16. रिपोर्ट या अधिनिर्णय का अन्तर**–(1) बोर्ड या न्यायालय की रिपोर्ट लिखित रूप में होगी और उस पर, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायालय के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे:

परन्तु इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह बोर्ड या न्यायालय के किसी सदस्य को रिपोर्ट से, या उसमें की गई किसी सिफारिश से विसम्मति का टिप्पण अभिलिखित करने से निवारित करती है।

(2) श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का अधिनिर्णय लिखित रूप में होगा, और उस पर उसका पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

[2]**17. रिपोर्टो और अधिनिर्णयों का प्रकाशन**–(1) बोर्ड या न्यायालय की हर रिपोर्ट, उसके साथ अभिलिखित किसी विसम्मति के टिप्पण सहित, हर माध्यस्थम् पंचाट और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का हर अधिनिर्णय, समुचित सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की भीतर की कालावधि के भीतर, ऐसी रीति से, जैसी समुचित सरकार ठीक समझे प्रकाशित किया जाएगा।

(2) धारा 1 क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पंचाट या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

[3]**17-क. अधिनिर्णय का प्रारम्भ**–(1) अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम् पंचाट आता है) धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीन दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा:

परन्तु-

(क) यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें किसी ऐसे औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में, जिसमें समुचित सरकार पक्षकार है, कोई अधिनिर्णय श्रम न्यायालय या अधिकरण ने दिया है, समुचित सरकार की यह राय हो, अथवा

(ख) यदि किसी ऐसे मामले मे, जिसमें अधिनिर्णय राष्ट्रीय अधिकरण ने दिया है, केन्द्रीय सरकार की यह राय हो, कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था या सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले लोक आधारो पर पूरे, अधिनिर्णय या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना असमीचीन होगा तो, यथास्थिति, समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि अधिनिर्णय तीन दिन की उक्त कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय न होगा।

(2) जहां कि किसी अधिनिर्णय के सम्बन्ध में कोई घोषणा उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन की गई है, वहा समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार अधिनिर्णय की धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिनिर्णय को प्रतिक्षेपित या उपान्तरित करने का आदेश कर सकेगी और अधिनिर्णय को, आदेश की प्रतिलिपि सहित, यदि आदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया हो तो राज्य के विधान मंडल के समक्ष, या यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो तो संसद् के समक्ष प्रथम उपलब्ध अवसर पर रखेगी।

(3) जहां कि उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के द्वारा यथा प्रतिक्षेपित या यथा उपान्तरित कोई अधिनिर्णय राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष या संसद के समक्ष रखा गया है, वहां ऐसा अधिनिर्णय इस प्रकार रखे जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा, और जहाँ कि उपधारा (2) के अधीन का कोई आदेश उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन की घोषणा के अनुसरण में नहीं किया गया है, वहां अधिनिर्णय उपधारा (2) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा।

(4) अधिनिर्णयता की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अधिनिर्णय उस तारीख से प्रवर्तन में आएगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु जहां कोई तारीख ऐसे विनिर्दिष्ट नही की गई है वहां वह उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिसको अधिनिर्णय, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

[1]**[17-ख. उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय-**जहां श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी मामले में अपने अधिनिर्णय में किसी कर्मकार को बहाल करने के लिए निदेश देता है और नियोजक ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करता है, वहा नियोजक ऐसे कर्मकार को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, ऐसी कार्यवाहियो के लंबित रहने की कालावधि के दौरान. उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का संदाय करने के लिये दायी होगा, जिसके अन्तर्गत किसी नियम के अधीन उसे अनुज्ञेय कोई निर्वाह-भत्ता भी है, यदि कर्मकार को ऐसी कालावधि के दौरान किसी स्थापना में नियोजित न किया गया हो और ऐसे कर्मकार द्वारा इस प्रभाव का शपथ-पत्र ऐसे न्यायालय में फाइल कर दिया गया हो,

परन्तु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा कर्मकार ऐसी कालावधि या उसके भाग के दौरान नियोजित था और पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था वहां न्यायालय यह आदेश देगा कि, यथास्थिति, ऐसी कालावधि या उसके भाग के लिये, इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी।

18. वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे-[2][(1) नियोजक और कर्मकार के बीच हुए करार द्वारा किया गया ऐसा समझौता, जो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में न होकर अन्यथा हुआ है, करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(2) [3][उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि माध्यस्थम पंचाट, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के उन पक्षकारों पर आबद्धकर होगा जिन्होंने विवाद को माध्यस्थम् के लिये निर्देशित किया था।

[4][(3) इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम मे किया गया समझौता, या ऐसे मामले में जिसमें धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है,] [6][माध्यस्थम् पंचाट या [7][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई अधिनिर्णय, जो प्रवर्तनीय हो गया हो,-]

(क) औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर;

(ख) कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिये विवाद के पक्षकारों के रूप में, समनित अन्य सभी पक्षकारों पर, जब तक कि यथास्थिति, बोर्ड [1][मध्यस्थ] [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण यह राय अभिलिखित न कर दे कि वे उचित हेतुक के बिना इस प्रकार समनित किए गए थे;

(ग) जहां कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पक्षकार नियोजक है वहां विवाद से सबद्ध स्थापन की बावत उसके वारिसो, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर :

(घ) जहां कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार कर्मकारों से ही मिलकर बना है वहां उन सभी व्यक्तियों पर, जो यथास्थिति, उस स्थापन पर स्थापन के भाग में जिससे विवाद का सबंध है, विवाद की तारीख को नियोजित थे और ऐसे सभी व्यक्तियों पर जो उस स्थापन या भाग में तत्पश्चात् नियोजित हो जाते है, आबद्धकर होगा ।

19. समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की कालावधि-(1)3*** समझौता उस तारीख को जिसके बारे में विवाद के पक्षकारों में सहमति हो जाए और यदि किसी तारीख के बारे मे सहमति न हो तो उस तारीख को, जिसकी समझौता ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हो, प्रवर्तन में आएगा।

(2) ऐसा समझौता उतनी कालावधि के लिये, जितनी के बारे में पक्षकारों में सहमति हो जाए और ऐसी किसी कालावधि के बारे में सहमति न हो तो [4][उस तारीख से, जिसको समझौता-ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हो, छह मास की कालावधि के लिए आबद्धकर होगा और पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर रहेगा जब तक उस तारीख से दो मास का अवसान न हो जाए जिसको समझौते के पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को समझौते का पर्यवसान करने के आशय की लिखित सूचना देता है ।

[5][(3) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अधिनिर्णय, उस तारीख से जिसको अधिनिर्णय धारा 17क के अधीन प्रवर्तनीय होता है,] एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगा:]

परन्तु समुचित सरकार उक्त कालावधि को घटा सकेगी और ऐसी कालावधि नियत कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे:

परन्तु यह और कि समुचित सरकार प्रवर्तन के कालावधि के अवसान के पूर्व एक समय में एक वर्ष से अनधिक उतनी कालावधि जितनी वह ठीक समझे उक्त कालावधि में और बढा सकेगी, किन्तु ऐसे कि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल कालावधि उसके प्रवर्तन में आने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक न हो जाए ।

(4) जहां कि समुचित सरकार का, चाहे स्वप्रेरणा से या अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर, यह विचार हो कि जब से अधिनिर्णय दिया गया तब से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित है, तात्विक तब्दीली हो गई है, वहां समुचित सरकार [7][यदि अधिनिर्णय श्रम न्यायालय का था तो श्रम न्यायालय को, या यदि अधिनिर्णय किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का था तो अधिकरण को,] उस अधिनिर्णय या उसके भाग को यह विनिश्चित करने के लिये निर्देशित कर सकेगी कि क्या ऐसी तब्दीली के कारण प्रवर्तन की कालावधि कम न कर दी जानी चाहिए, और ऐसे निर्देश पर, [1][यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण] का विनिश्चय [2]*** अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (3) के अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी जो प्रभावी किए जाने के पश्चात् उन पक्षकारों पर, जो अधिनिर्णय से आबद्ध है, कोई चालू रहने वाली बाध्यता अपनी प्रकृति, निबन्धनों या अन्य परिस्थितियों के कारण अधिरोपित नहीं करता।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तन की कालावधि का अवसान हो जाने पर भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर रहेगा जब तक कि उस तारीख से दो मास न बीत गए हो जिसको अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय का पर्यवसान करने का अपना आशय प्रज्ञापित करने की सूचना दी है।]

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि वह, यथास्थिति, समझौते या अधिनिर्णय से आबद्ध व्यक्तियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार द्वारा न दी गई हो।]

20. कार्यवाहियों का प्रारम्भ और उनकी समाप्ति-(1) सुलह कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 22 के अधीन हडताल या तालाबन्दी की सूचना सुलह अधिकारी को प्राप्त होने की तारीख का, या बोर्ड को विवाद निर्देशित किए जाने के आदेश की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो प्रारम्भ हुई है।

(2) सुलह कार्यवाही---

(क) जहां कि समझौता हो जाता है वहां तब जब विवाद के पक्षकार समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देते हैं:

(ख) जहां कि समझौता नहीं हो पाता है, वहां यथास्थिति, तब जब सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है या जब बोर्ड की रिपोर्ट धारा 17 के अधीन प्रकाशित कर दी जाती है, अथवा

(ग) तब जब सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान धारा 10 के अधीन कोई निर्देश न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किया जाता है समाप्त हुई समझी जाएगी।

(3) [5][मध्यस्थ के समक्ष धारा 10-क के अधीन की या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विवाद के, [6][यथास्थिति, माध्यस्थम् या न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित की जाने की तारीख को प्रारम्भ हुई है, और ऐसी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे [1][उस तारीख को] समाप्त हुई है। जिसको अधिनिर्णय धारा 17 क के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

21. कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना-किसी अन्वेषण या जाँच के अनुक्रम में व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारबार के बारे में (चाहे उसे कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी चलाती हो) सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण,

राष्ट्रीय, अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष दिये गए साक्ष्य के माध्यम से उपलभ्य होने के सिवाय अन्यथा उपलभ्य नही है, इस अधिनियम के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में उस दशा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें कि सबद्ध व्यवसाय संघ, व्यक्ति. फर्म या कम्पनी ने. यथास्थिति सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय. श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय, अधिकरण. या मध्यस्थ से यह लिखित प्रार्थना की हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाए, और न ऐसा सुलह अधिकारी या बोर्ड का कोई एक सदस्य. या न्यायालय या श्रम न्यायालय. अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या मध्यस्थ या कार्यवाहियो मे उपस्थित या उनसे सम्पूक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या सम्बद्ध व्यक्ति, फर्म या कम्पनी की. लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी जानकारी को भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिये प्रकट करने को लागू नहीं होगी।

अध्याय 5
हड़ताल और तालाबंदी

22. हड़तालों और तालाबन्दियों का प्रतिषेध-(1) लोक उपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति---

(क) हड़ताल करने से पूर्व के छह सप्ताह के भीतर हडताल की सूचना नियोजक को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में दिए बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) किसी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट हडताल की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान सविदा-भंगकारी हड़ताल न करेगा ।

(2) किसी लोक उपयोगी सेवा को चलाने वाला कोई भी नियोजक-

(क) तालाबन्दी करने से पूर्व छह सप्ताह के भीतर तालाबन्दी की सूचना सम्बद्ध कर्मकार को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में दिए गए बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर; अथवा

(ग) किसी यथापूर्वोत्त सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबन्दी की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान,

अपने किन्हीं भी कर्मकारों के प्रति तालाबन्दी नही करेगा।

(3) तालाबन्दी या हडताल की इस धारा के अधीन सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां कि लोक उपयोगी सेवा में, यथास्थिति हड़ताल या तालाबन्दी पहले से ही विद्यमान है, किन्तु नियोजक ऐसी तालाबन्दी या हड़ताल की प्रज्ञापना उस दिन, जिस दिन वह घोषित की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशिष्ट क्षेत्र के लिये लोक उपयोगी सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, और ऐसी रीति से दी जाएगी, जो विहित किए जाएं या की जाए।

(5) उपधारा (2) मे निर्दिष्ट तालाबन्दी की सूचना ऐसी रीति से दी जाएगी जैसी विहित की जाए।

(6) यदि किसी दिन नियोजक अपने द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों से कोई ऐसी सूचना जैसी उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, प्राप्त करता है या अपने द्वारा नियोजित किन्ही व्यक्तियों को कोई ऐसी सूचनाएं, जैसी उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, देता है तो वह उसके पांच दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को जिसे वह सरकार विहित करे उस दिन प्राप्त की गई या दी गई सूचनाओं की सख्या की रिपोर्ट देगा।

23. हड़तालों और तालाबन्दियों का साधारण प्रतिषेध-(क) बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात सात दिन के दौरान:

(ख) [1][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान अथवा]

[3][खख) जहां कि धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है वहां मध्यस्थ के समक्ष की माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान, अथवा]

(ग) किन्हीं ऐसे मामलों की बावत जो किसी समझौता या अधिनिर्णय के अन्तर्गत आते है, किसी ऐसी कालावधि के दौरान जिसमैं वह समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

कोई भी कर्मकार जो किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित है संविदा-भंगकारी हडताल न करेगा, और न ऐसे किसी कर्मकार का कोई भी नियोजक तालाबन्दी घोषित करेगा।

24. अवैध हड़तालें और तालाबन्दियां-(1) यदि हडताल या तालाबन्दी-

(i) धारा 22 या धारा 23 के उल्लंघन मे प्रारम्भ या घोषित की जाती है, अथवा

(ii) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन [4][या धारा 10क की उपधारा (4क) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है, तो वह अवैध होगी।

(2) जहां कि कोई हडताल या तालाबन्दी किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण मे पहले से ही प्रारम्भ हो चुकी है और बोर्ड [1][मध्यस्थ.] [2][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को विवाद निर्देशित करने के समय विद्यमान है, वहा ऐसी हडताल या तालाबन्दी का चालू रखा जाना अवैध नही समझा जाएगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसी हडताल या तालाबन्दी अपने प्रारम्भ के समय इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघन में न रही हो और उसका चालू रखा जाना धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन [3][या धारा 10क की उपधारा (4क) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो।

(3) अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबन्दी या अवैध तालाबन्दी के परिणामस्वरूप घोषित हडताल अवैध नहीं समझी जाएगी।

25. अवैध हड़तालों और तालाबन्दियों के लिये वित्तीय सहायता का प्रतिषेध-कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हडताल या तालाबन्दी को प्रत्यक्षत; अग्रसर करने या उसका समर्थन करने मे किसी धन या व्यय या उपयोजन जानते हुए नही करेगा।

[4][अध्याय 5-क
कामबंदी और छंटनी

25-क. धारा 25ग से लेकर धारा 25ड. तक का लागू होना–(1) धारा 25ग से लेकर 25ड. तक, जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं आती है, [5][उन औद्योगिक स्थापनों को, जिन्हें अध्याय 5ख लागू होता है, अथवा-

(क) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जिनमें पूर्ववर्ती कैलेडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन पचास से कम, कर्मकार नियोजित रहे हैं, अथवा

(ख) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है, लागू नही होगी।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नही अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नही तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[6][**स्पष्टीकरण-**इस धारा में और धारा 25ग, धारा 25घ, और धारा 25ड. में "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है-

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ङः) में यथापरिभाषित कारखाना: अथवा

(ii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (**ञ**) में यथापरिभाषित खान, अथवा

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान।

[1][**25ख. निरन्तर सेवा की परिभाषा-**इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -

(1) यह बात कि कर्मकार किसी कालावधि में निरन्तर सेवा में रह चुका है उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि यह उस कालावधि में अविच्छिन्न सेवा में रहे, जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णत: या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ।

(2) जहां कि कर्मकार एक वर्ष या छह मास की कालावधि के लिए खंड (1) के अर्थ के अन्दर

निरन्तर सेवा में नहीं रहा है, वहां-

(क) यदि उसने, उस तारीख से जिसके प्रति निर्देश की गणना की जानी है, पूर्व के बारह कैलेण्डर मास की कालावधि के दौरान-

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है एक सौ नब्बे से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस से,

अन्यून दिन, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है

(ख) यदि उसने उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के छह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान-

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पचानवे से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, एस सौ बीस से;

अन्यून दिन किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिये, उस नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है ।

स्पष्टीकरण-खंड (2) के प्रयोजनों के लिये. उन दिनों की, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है. संख्या मे वे दिन भी सम्मिलित होंगे. जिनको-

(i) उसकी, किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन बनाए गये स्थायी आदेशो द्वारा, या इस अधिनियम के अधीन या उस औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन यथा-अनुज्ञात, कामबन्दी की गई है।

(ii) वह पूर्व वर्षो मे उपार्जित पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर रहा है

(iii) वह अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में, उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निदृशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है; तथा

(iv) नारी की दशा मे, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ये दिन ऐसे सम्मिलित होंगे कि ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि बारह सप्ताह से अधिक न हो।

[1]**[25-ग. जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर के लिये अधिकार-**जब कभी (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल मे दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरन्तर चाहे आन्तरायिक रूप से कामबन्दी की जाती है तब नियोजक, ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिये, जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबन्दी की जाए, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और मंहगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबन्दी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा :

परन्तु यदि बारह मास की किसी कालावधि के दौरान कर्मकार की पैंतालिस दिन से अधिक की इस प्रकार कामबन्दी की जाए तो उस कामबन्दी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा मे संदेय नहीं होगा जिसमें कर्मकार और नियोजक के बीच उस भाव का कोई करार हो।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले मे नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छंटनी धारा 25च में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उस कामबन्दी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात किसी भी समय कर दे, और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कामबन्दी की जाने के लिये कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा जो छंटनी के लिए संदेय हो।

स्पष्टीकरण- "बदली कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी औद्योगिक स्थापन मे किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किन्तु यदि उसने स्थापन में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तो इस धारा के प्रयोजन के लिये उसे ऐसा नहीं माना जाएगा।

25-घ. कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्त्तव्य-इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबन्दी की गई है, हर नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारो द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबन्ध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिये स्वयं उपस्थित हों।

25-ड. कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिये हकदार न होना-उस कर्मकार को, जिसकी कामबन्दी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा जिसमे कि-

(i) वह उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबन्दी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में, जो उसी नगर या गाँव में, या जिस स्थापन का वह है, उससे पांच मील की परिधि के अन्दर स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है, यदि नियोजक की राय में ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिये किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परन्तु यह तब जबकि कर्मकार को, उस मजदूरी को, जो उसे प्रसामान्यता दी गई होती, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिये भी की गई हो,

(ii) वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिये प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता,

(iii) ऐसी कामबन्दी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हडताल किए जाने या उत्पादन-गति मन्द किए जाने के कारण की गई हो।

25-च कर्मकारों की छंटनी के लिये पुरोभाव्य शर्ते-किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि-

(क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दी गई हो जिसमे छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो:

1 * * * *

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो [2][निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिये पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा

(ग) सूचना की तामील समुचित सरकार पर [3][या ऐसे प्राधिकारी पर, जो शासकीय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित रीति से कर दी गई हो ।

[4][**25चच. उपक्रमों के अन्तरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर-**जहां कि किसी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबन्ध उस उपक्रम से सम्बद्ध नियोजक से किसी नए नियोजक को करार द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा अन्तरित किया जाता है वहां हर कर्मकार, जो ऐसे अन्तरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष के लिये निरन्तर सेवा में रह चुका है धारा 25च के उपबन्धो के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, उस दशा में जिसमें कि अन्तरण के कारण नियोजक बदल गए हों, तब लागू नहीं होगी जबकि-

(क) ऐसे अन्तरण से कर्मकार की सेवा में विच्छेद न हुआ हो,

(ख) ऐसे अन्तरण के पश्चात् कर्मकार को लागू सेवा के निबन्धन और शर्ते कर्मकार के लिये किसी भी प्रकार उन निबन्धनों और शर्तो से कम अनुकूल न हों जो अन्तरण से ठीक पहले उसे लागू थीं, तथा

(ग) नया नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और अन्तरण द्वारा वह विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अन्तरण के निबन्धनों के अधीन अथवा अन्यथा, प्रतिकर देने के लिये वैध रूप से दायी हो।

[2][**25चचक. किसी उपक्रम को बन्द करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना-**कोई नियोजक जो किसी उपक्रम को बन्द करना चाहता है, उस तारीख के, जिसको कि आशयित बन्दी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व, समुचित सरकार को उपक्रम के बन्द किए जाने के आशय के कारण स्पष्ट करते हुए, विहित रीति से एक सूचना देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात-

(क) ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिसमें-

(i) पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं, अथवा

(ii) पूर्ववर्ती बारह मासों मे प्रतिदिन औसतन पचास कर्मकारों से कम नियोजित रहे हों,

(ख) ऐसे उपक्रम को लागू न होगी जो भवनो, पुलों, सडको, नहरों, बांधों के निर्माण के लिये, अथवा अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिये स्थापित किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाए कि किन्ही ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना अथवा नियोजक की मृत्यु अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण, से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे उपक्रम के सम्बन्ध मे, ऐसी अवधि के लिए, जो उस

आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

[2]**25-चचच. उपक्रमों के बंद कर दिए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर–(**1) जहां कि कोई उपक्रम किसी भी कारण वश बन्द कर दिया जाता है वहां हर कर्मकार, जो ऐसी बन्दी से ठीक पहले उस उपक्रम से कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुए धारा 25च के उपबन्धों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो.

परन्तु जहां कि उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बन्द किया गया है, वहां धारा 25च के खंड (ख) के अधीन कर्मकार को देय प्रतिकर तीन मास के उसके औसत वेतन से अधिक नही होगा।

[3]**[स्पष्टीकरण-**उस उपक्रम के बारे में, जो केवल-

(i) वित्तीय कठिनाइयों के (जिनके अन्तर्गत वित्तीय हानियां आती हैं) कारण या,

(ii) अध्ययनित स्टाक के संचय के कारण; या

(iii) उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञाप्ति की अवधि के अवसान के कारण; या

(iv) उस दशा में जब कि उपक्रम खनन संक्रिया मे लगा हो उस क्षेत्र में खनिजोन के नि:शेषण के कारण, जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो, बन्द किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परन्तुक के अर्थ के अन्दर नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियो के कारण बन्द किया गया है।

[1][(1-क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम उस क्षेत्र में जिसमें संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के नि:शेषण के कारण बन्द किया गया है, वहां उस उपधारा मे निर्दिष्ट कोई कर्मकार धारा 25च के उपबन्धों के अनुसार किसी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, यदि-

(क) बन्द होने की तारीख से ही नियोजक कर्मकार के लिये उसी पारिश्रमिक पर जिसे प्राप्त करने का वह हकदार था, और सेवा से उन्हीं निबन्धनों और शर्तो पर, जो बन्द होने के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था कर देता है

(ख) कर्मकार की सेवा ऐसे अनुकल्पी निय जन से भंग न हुई हो; तथा

(ग) नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा भंग नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा प्रतिकर के सदाय का वैध रूप से दागी हो।

(1-ख) उपधारा (1) और (1क) के प्रयोजनार्थ “खनिजो" और "खनन संक्रियाओं” पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खण्ड (क) तथा (घ) में क्रमश: उनके हैं ।

(2) जहां कि भवनो, पुलों, सड़कों, नहरों, या बांधों के सन्निर्माण के लिये या अन्य सन्निर्माण कामो के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से, जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, दो वर्ष के भीतर बन्द कर दिया जाता है, वहां, उसमे नियोजित कोई भी कर्मकार, धारा 25च के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा, किन्तु यदि वह सन्निर्माण काम इस प्रकार दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो जाता है तो वह कर्मकार [2][निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष] के लिए या छह मास से अधिक के उपके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिकर का हकदार होगा।

25-छ. छंटनी के लिए प्रक्रिया-जहां कि किसी औद्योगिक स्थापन के किसी ऐसे कर्मकार की, जो भारत का नागरिक है छंटनी की जानी हो यह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां, तब के सिवाय जबकि नियोजक ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, किसी अन्य कर्मकार की छंटनी करता है, नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में नियोजक, मामूली तौर से और उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अन्तिम व्यक्ति हो।

25-ज. छंटनी किए गए कर्मकारों का पुन-नियोजन-जहां कि किन्ही कर्मकारों की छंटनी की जाती है और नियोजक किन्हीं व्यक्तियों को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहा वह [1][उन छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, यह अवसर देगा कि पुन: नियोजन के लिये अपने को प्रतिस्थापित करें और छंटनी किए गए उन कर्मकारों को जो पुन: नियोजन के लिये अपने को प्रस्थापित करें अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा ।

25-झ. निरसित-[इस अध्याय के अधीन नियोजक के शोध्य धन की वसूली औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का 36) की धारा 19 द्वारा (10-3-1957 से) निरसित ।

25-ञ. इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव-इस अध्याय के उपबन्ध किसी अन्य विधि में, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन बनाए गए स्थायी आदेश आते हैं, इनसे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे:

[2][परन्तु जहां कि किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन निकाले गये नियमों, आदेशो या अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा-संविदा के अधीन या अन्यथा, कोई कर्मकार किसी बात की बावत ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिये उन फायदों से, जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है वहा, कर्मकार इस बात के होते हुए वह अन्य बातों की बावत इस अधिनियम के अधीन फायदा प्राप्त करता है, उस बात की बावत अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जाएगा कि वह किसी राज्य मे किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती

है, प्रभाव डालती है, किन्तु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबन्दी और छंटनी से है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।

[3][अध्याय 5-ख

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बन्द किये जाने के संबंध में विशेष उपबंध

25-ट. अध्याय 5ख का लागू होना-(1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नही है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम [4][एक सौ] कर्मकार नियोजित थे।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नही अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

25-ठ. परिभाषाएं-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

(क) "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत हैं-

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड ड में यथापरिभाषित कारखाना;

(ii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 उपधारा (1) के खण्ड (अ) में यथापरिभाषित खान; अथवा

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित बागान;

(ख) धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड में किसी बात के होते हुए भी,-

(i) किसी ऐसी कम्पनी के सबंध में, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्कावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा धृत है, अथवा

(ii) किसी ऐसे निगम के संबंध में [जो धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट निगम नहीं है।

जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया है, केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी।

25-ड. कामबन्दी का प्रतिषेध-(1) (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, [1][उसके नियोजक द्वारा कामबन्दी समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जिसे इस निमित्त उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा के बिना जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो तभी की जाएगी, जब कि ऐसी कामबन्दी शक्ति की कमी या प्राकृतिक दुर्घटना, और किसी खान की दशा में, ऐसी कामबन्दी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण भी की गई हो] |

[2][(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से, आशयित कामबन्दी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारो पर साथ-साथ तामील की जाएगी।

(3) जहाँ किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान है, (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) कर्मकारों की उपधारा (1) के अधीन अग्रि. बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबन्दी कर दी गई है, वहां ऐसे स्थापन के संबंध मे नियोजक, ऐसी कामबन्दी के प्रारम्भ की तारीख के तीस दिन की कालावधि के भीतर विहित रीति से समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कामबन्दी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार और ऐसी कामबन्दी में हितबद्ध व्यक्तियो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी कामबन्दी के कारणों को असलियत और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितो और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी।

(5) जहाँ उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(7) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति. निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा:

परन्तु जहाँ इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नही किया गया है था जहा

उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहाँ किसी कामबन्दी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहा ऐसी कामबन्दी को, उस तारीख से जिसको कर्मकारों की कामबन्दी की गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबन्दी नहीं की गई थी।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध मे ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होगे ।

[1][(10) धारा 25ग के उपबंध (उसके द्वितीय परन्तुक को छोडकर) इस धारा में विनिर्दिष्ट कामबन्दी के मामलों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नियोजक द्वारा कर्मकार की कामबन्दी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई वैकल्पिक नियोजन (जिसके लिए नियोजक की राय मे कोई विशेष कौशल या पूर्व अनुभव अपेक्षित नही है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है) उसी स्थापन में, जिसमे उसकी कामबन्दी की गई थी या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जो उसी नगर या ग्राम मे स्थित है या जो उस स्थापन से, जिसमें वह कर्मकार है, इतनी दूरी पर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके स्थानान्तरण से उसे असम्यक् कष्ट नहीं होगा, देता है परन्तु यह तब जब कि कर्मकार को प्रसामान्य रूप से जितनी मजदूरी संदत्त की जाती उतनी ही मजदूरी उसे वैकल्पिक नियुक्ति के लिए भी दी जाए।

25-ढ. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्त-(1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार की जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी जब कि,-

(क) कर्मकार को तीन मास की लिखित ऐसी सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो; और

(ख) समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा, और ऐसे आवेदन की एक प्रति को भी

विहित रीति से सबंधित कर्मकारों पर साथ-साथ तामील की जाएगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहा समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक को अवसर देने के पश्चात् संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियोजक द्वारा कथित कारणों की सत्यता और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे आदेश को एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियोजक को ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी।

(5) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (6) के उपबंधो के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वही ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा।

(7) जहाँ उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहाँ किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होगे।

(9) जहां उपधारा (3) के अधीन, छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या जहां छंटनी की अनुज्ञा उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर सम्पूरित वर्ष के या उसके ऐसे भाग के जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा ।

25-ण. उपक्रम बन्द किए जाने की प्रक्रिया–(1) कोई नियोजक, जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उपक्रम को बन्द करने का आशय रखता है, उपक्रम की आशयित बन्दी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए विहित रीति से, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बन्दी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पूर्व, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ ही आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधि को भी तामील की जाएगी:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नही होगी जो भवनो, पुलो, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण काम के लिए स्थापित किया गया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, और नियोजक, कर्मकार और ऐसे बन्द किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् नियोजक द्वारा कथित कारणो की सच्चाई और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकार को भेजी जाएगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नही देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाला समुचित सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत रहेगा।

(5) समुचित सरकार, चाहे स्वप्रेरणा पर या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, अधिनिर्णय पारित करेगा।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नही किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बन्द किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सभी फायदों का हकदार होगा मानो उपक्रम बन्द ही नही किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधो में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे।

(8) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बंद कर दिये जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर है।

25-त. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व बन्द किए गए उपबन्धों को पुन: चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध-यदि किसी औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, कि किसी उपक्रम के बारे में, जो औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976, (1976 का 32) के प्रारम्भ के पूर्व बन्द किया गया है, समुचित सरकार की राय हैं कि--

(क) ऐसा उपक्रम नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण से अन्यथा बन्द किया गया है;

(ख) उपक्रम के पुन: चालू किए जाने की संभावनाएं हैं;

(ग) ऐसे उपक्रम के बन्द किये जाने के पूर्व उसमें नियोजित कर्मकारों के पुनर्वास के लिए या जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय तथा सेवाएं बनाए रखने के लिए या दोनों के लिए उपक्रम को पुन: चालू करना आवश्यक है; और

(घ) उपक्रम के पुन: चालू करने के परिणामस्वरूप नियोजक को उस उपक्रम के संबंध में कष्ट नहीं होगा, तो वह ऐसे नियोजक और कर्मकारों को अवसर देने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर (जो आदेश की तारीख से एक मास से कम का न हो) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पुन: चालू होगा।

25-थ. पूर्व अनुज्ञा के बिना कामबन्दी या छंटनी के लिए शास्ति - जो नियोजक, धारा 25 ड के या धारा 25ढ [1]*** के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

25-द. बन्द करने पर शक्ति-(1) जो नियोजक किसी उपक्रम को उपधारा 25ण की उपधारा (1)

के उपबन्धों का अनुपालन किए बिना बन्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जो नियोजक [धारा 25ण की उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम को बन्द करने की अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश या धारा 25त के अधीन दिए गए किसी निदेश] का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहा अतिरिक्त जुर्माने से, जो दोषसिद्धि के पश्चात् से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

3 * * *

25-ध. ऐसे औद्योगिक स्थापन को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अध्याय क के कतिपय उपबन्धों का लागू होना-अध्याय 5क की धाराएं 25ख, 25घ, 25चच 25छ, 25ज और 25ञ के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन के संबंध में भी, जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं, यथाशक्य लागू होंगे ।]

[4][अध्याय 5-ग
अनुचित श्रम व्यवहार

25-न. अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध-कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा नही, कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा।

25-प. अनुचित श्रम व्यवहार के लिए शास्ति-कोई व्यक्ति, जो अनुचित श्रम व्यवहार करेगा, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अध्याय 6
शास्तियों

26. अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए शास्ति-(1) जो कर्मकार, ऐसी हडताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से. दण्डनीय होगा ।

(2) जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने मे अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

27. उकसाने आदि के लिए शास्ति-जो व्यक्ति, ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी में, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा, या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

28. अवैध हड़तालों और तालाबन्दियों के लिए वित्तीय सहायता देने के शास्ति-जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

[1]**[29. समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति-**जो व्यक्ति, किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, [2][और जहाँ कि भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् के हर दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दो सौ रुपये तक हो सकेगा,] दण्डनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय मे ऐसे भग से क्षति हुई है, प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।

30. गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति-जो व्यक्ति धारा 21 मे निर्दिष्ट किसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझ कर प्रकट करेगा, वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारबार द्वारा उसकी ओर से, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, किए गए परिवाद पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

[3]**[30-क बिना सूचना दिए बन्दी के लिए शास्ति-**कोई नियोजक जो धारा 25चचक के उपबंधों का अनुपालन किए बिना, किसी उपक्रम को बन्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

31. अन्य अपराधों के लिए शास्ति-(1) जो नियोजक धारा 33 के उपबधो का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों में से किसी का उल्लंधन करेगा वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबन्धित नही की गयी है, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

32. कम्पनियों आदि द्वारा अपराध-जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी, या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम हो (चाहे वह निगमित हो या न हो) वहां हर निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जो उसके प्रबन्ध से संपृक्त हो, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा।

[1][**(33. कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तो आदि का कतिपय परिस्थितियों में न बदला जाना–(**1) किसी औद्योगिक विवाद की बावत किसी सुलह अधिकारी, या बोर्ड के समक्ष की किसी सुलह कार्यवाही के या [2][किसी मध्यस्थ या] श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान कोई भी नियोजक, ऐसे प्राधिकारी की, जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना-

(क) न तो उस विवाद से संयुक्त किसी विषय के बारे में उन सेवा की शर्तो को जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकारों को लागू होती हैं, इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि उन कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और

(ख) न ऐसे विवाद से संपृक्त किसी कर्मकार को, विवाद से संसक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित या दंडित करेगा।

(2) किसी औद्योगिक विवाद की बावत ऐसी किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, नियोजक, ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार [3][या जहां कि ऐसे कोई स्थायी आदेश नही हैं वहां अपने और कर्मकार के बीच हुई किसी संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों के अनुसार] -

(क) उन सेवा की शर्तो को, जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू होती है, विवाद से असंसक्त किसी विषय के बारे में परिवर्तित, अथवा

(ख) उस कर्मकार को विवाद से असंसक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित या दंडित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी कर्मकार तब तक उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे एक मास की मजदूरी न दे दी गई हो और नियोजक ने उस प्राधिकारी से, जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया हो ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियोजक किसी औद्योगिक विवाद की बावत ऐसी किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, उस प्राधिकारी की लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना, जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, ऐसे विवाद से संपृक्त किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो-

(क) उन सेवा की शर्तो को, जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले उसे लागू थी ऐसे

परिवर्तित कर दे कि परिवर्तन का ऐसे सरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, अथवा

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को पदच्युत द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित करे ।

स्पष्टीकरण-उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थापन के सम्बन्ध में, "सरक्षित कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जिसे उस स्थापन के संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ [1][की कायपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी] होते हुए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त है ।

(4) हर स्थापन में, ऐसे कर्मकारो की सख्या, जिन्हें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए सरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का एक प्रतिशत होगी, किन्तु संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम पांच और अधिक से अधिक एक सौ होगी, और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हों, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए जिससे कर्मकार सरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्हें मान्यता दी जा सकेगी उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(5) जहां कि कोई नियोजक अपने द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन सुलह अधिकारी, बाड़े, [2][मध्यस्थ] श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण से आवेदन करता है, वहां संपृक्त प्राधिकारी अविलम्ब ऐसे आवेदन की सुनवाई करेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे:

[4][परन्तु जहां ऐसा कोई प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहाँ वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाए, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकरण के समझ कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यपगत नही होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि, ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के बिना ही समाप्त हो गई थी।]

[5][33-क. यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबन्ध कि कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली हैं या नहीं--जहां कि कोई नियोजक कार्यवाहियों के [6][सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान धारा 33 के उपबन्धों का उल्लघंन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद, ऐसी [7][विहित रीति से,-

(क) ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को कर सकेगा और सुलह अधिकारी या बोर्ड ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता कराने के लिए, ध्यान देगा और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, परिवाद का न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस अधिनियम के उपबंधो के

अनुसार उसे निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा, और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

[1][**33-ख. कतिपय कार्यवाहियों को अन्तरित करने की शक्ति–**](1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें लिखा जाएगा, प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए, उसे, यथास्थिति, किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को अन्तरित कर सकेगी, और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे - कार्यवाही ऐसे अन्तरित की गई है, अन्तरण आदेश में के विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो नए सिरे से या उस प्रकम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह ऐसे अन्तरित की गई थी:

परन्तु जहां कि धारा 33 या धारा 33क के अधीन कोई कार्यवाही किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित है वहां ऐसी कार्यवाही किसी श्रम न्यायालय को भी अन्तरित की जा सकेगी।

(2) यदि कोई अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो वह अपने समक्ष लम्बित धारा 33 या धारा 33क के अधीन की किसी कार्यवाही को, उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन श्रम न्यायालयों में से किसी एक को अन्तरित कर सकेगा, जिन्हें ऐसी कार्यवाहियां निपटाने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो और वह श्रम न्यायालय, जिसे कार्यवाही इस प्रकार अन्तरित की गई है, उसे निपटाएगा।

[2][**33-ग. नियोजक से शोध्य धन की वसूली**–](1) जहां कि किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या [3][अध्याय 5क या अध्याय 5ख] के उपबन्धों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहां स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका समनुदेशिती या उसके वारिस, उसे शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार से आवेदन, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर सकेगे, और यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, तो वह उस रकम के लिए कलक्टर को एक प्रमाण-पत्र भेजेगी जो उसकी वसूली के लिए उसी रीति से अग्रसर होगा जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है:

परन्तु ऐसा हर आवेदन, उस तारीख से, जिसको कर्मकार को नियोजक से धन शोध्य हुआ था एक वर्ष के भीतर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आवेदन एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि समुचित सरकार का यह समधान हो जाता है कि उक्त कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण था।

(2) जहां कि कर्मकार नियोजक से कोई धन या ऐसी प्रसुविधा, जो धन के रूप में संगणित की

जा सकती है, प्राप्त करने का हकदार है और शोध्य धन की रकम के बारे में या उस रकम के बारे में, जितनी प्रसुविधा के लेखे संगणित की जानी चाहिए, कोई प्रश्न पैदा होता है, तो वह प्रश्न, उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, उस श्रम न्यायालय, द्वारा जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे विनिश्चित किया जा सकेगा [1][तीन मास से अनधिक कालावधि के भीतर:]

[2][परन्तु जहां श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा।]

(3) किसी प्रसुविधा का धन-मूल्य संगणित करने के प्रयोजनों के लिए, श्रम न्यायालय, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो आवश्यक हो, श्रम न्यायालय को रिपोर्ट निवेदित करेगा और श्रम न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट और मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् रकम अवधारित करेगा ।

(4) श्रम न्यायालय का विनिश्चय उसके द्वारा समुचित सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और श्रम न्यायालय द्वारा शोध्य पाई गई रकम उपधारा (1) में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी।

(5) जहां कि एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उसके कोई धन या कोई ऐसी प्रसुविधा, जो धन के रूप में संगणित की जा सकती हैं, प्राप्त करने के हकदार हो, वहां उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे कितने ही कर्मकारों की ओर से या उनकी बावत एक ही आवेदन शोध्य रकम की वसूली के लिए किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा में "श्रम न्यायालय" के अन्तर्गत ऐसा न्यायालय आता है जो किसी भी राज्य मे प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के अधीन गठित किया गया हो जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित है।

34. अपराधों का संज्ञान-(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नही करेगा।

(2) [3][महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट] के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नही करेगा।

35. व्यक्तियों का संरक्षण-(1) किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी में, जो इस अधिनियम के अनुसार अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई के कारण, व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी से निष्कासित किए जाने का, या किसी जुर्माने या शास्ति का, या किसी ऐसे अधिकार या प्रसुविधा से, जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार हों, वंचित किए जाने का भागी नही होगा और न उस संघ

या सोसाइटी के अन्य सदस्यों की तुलना में, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी भी विषय मे किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अहितकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा।

(2) किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में की कोई भी बात, जो विवादों का किसी भी रीति से समझौता करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित करने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, यह आदेश देने के बदले कि उसे फिर से सदस्य बना लिया जाए यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसाइटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के तौर पर ऐसी राशि दी जाए जिसे यह न्यायालय न्यायसंगत समझे ।

[1]**36. पक्षकारों का प्रतिनिधि-**(1) वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व---

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की, जिसका वह सदस्य है, [2][कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी] द्वारा,

(ख) व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ सबद्ध है [3][कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी] द्वारा,

(ग) जहां कि कर्मकार किसी व्यवसाय सघ का सदस्य नही है वहां, उस उद्योग से, जिसमें कर्मकार नियोजित है, संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित की जाए, किया जाए।

(2) यह नियोजक जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व-···

(क) उस नियोजक-संगम के, जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ख) नियोजक-संगमों के, उस परिसंघ के, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ग) जहाँ कि नियोजक किसी नियोजक-संगम का सदस्य नहीं है, वहाँ, उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है संसक्त नियोजक-संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित की जाए, किया जाए।

(3) विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस अधिनियम के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी द्वारा किया जाए।

(4) विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व [1][श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सम्मति से और, [2][यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण की इजाजत से] विधि-व्यवसाय द्वारा किया जा सकेगा।]

[3][**36-क. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–**(1) यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है, तो वह उस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे।

(2) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

[4][**36-ख छूट देने की शक्ति-**जहाँ, समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग में नियोजित कर्मकारो की बावत औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिए पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधो से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना छूट दे सकेगी।

37. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण-कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

[5][**38. नियम बनाने की शक्ति–**(1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिये या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगे, अर्थात:-

(क) सुलह अधिकारियों, बोर्डो, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्तियां और प्रक्रिया, जिनके अन्तर्गत साक्षियों को समन करने, जांच या अन्वेषण की विषय-वस्तु से सुसंगत दस्तावेजों को पेश करने, गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य-संख्या और रिपोटो तथा अधिनिर्णयों को निवेदित करने की रीति विषयक नियम आते हैं;

[1](कक) माध्यस्थम्, करार का प्ररूप, वह रीति जिससे पक्षकार उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, [2][वह रीति जिससे धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली जा सकेगी,] माध्यस्थम् करार में नामित मध्यस्थ की शक्तियां और वह प्रक्रिया जिसका उसके द्वारा अनुसरण किया जाना है;

(ककक) इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में असेसरों की नियुक्ति,]

[3](कख) धारा 9-ग में निर्दिष्ट शिकायत प्राधिकरणों का गठन वह रीति जिसमें औद्योगिक विवाद ऐसे प्राधिकरणों को निपटारे के लिए निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, ऐसे प्राधिकरणों द्वारा उनको निर्दिष्ट विवादों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह कालावधि जिसके भीतर ऐसी कार्यवाहियों को पूरा किया जाएगा ।

(ख) कर्म समितियों का गठन उसके कृत्य और उनमें की रिक्तयों का भरा जाना और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसी समितियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना हैं;

(ग) न्यायालयों [4][और बोर्डो के सदस्यों को और श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को और असेसरों और साक्षियों को अनुज्ञेय भत्ते;

(घ) वह अनुसूचिवीय स्थापन जो न्यायालयों, बोर्ड, [5][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को आबंटित किया जा सकेगा और ऐसे स्थापनों के सदस्य को संदेय सबलम् और भत्ते;

(ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिसके द्वारा और जिन्हें हड़ताल या तालाबन्दी की सूचना दी जा सकेगी और वह रीति जिससे ऐसी सूचनाएं संसूचित की जाएंगी;

(च) वे शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए पक्षकारों का प्रतिनिधित्व विधि-व्यवसायियों द्वारा किसी न्यायालय, [5][श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में किया जा सकेगा;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि उनका उल्लंघन पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा |

[6][(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष या जहाँ कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है वहा ससद के दोनो सदनों के समक्ष, रखे जाएगे ।]

[1][(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्ता में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा [2][दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा ।

[3]**[39. शक्तियों का प्रत्यायोजन-**समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबध में और ऐसी शर्तो के यदि कोई हों, अध्यधीन जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथा निम्नलिखित भी प्रयोक्तव्य होगी--

(क) जहां कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो वहा केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, तथा

(ख) जहां कि समुचित सरकार-राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

40. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति-(1) यदि समुचित सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन या आवश्यक है, तो वह पहली अनुसूची में कोई उद्योग, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोड सकेगी, और ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर, पहली अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर यथास्थिति, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(3) हर ऐसी अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र यदि अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है तो राज्य के विधान-मडल के समक्ष या यदि अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई है तो ससद के समक्ष रखी जाएगी।

[1][पहली अनुसूची]

[धारा 2 (ढ) (vi) देखिए]

वे उद्योग जो धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के अधीन लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किए जा सकेंगे]

1. यात्रियों या माल के [2][भूमि या जल मार्ग द्वारा] वहन के लिए (रेल से भिन्न) परिवहन ।
2. बैंककारी।
3. सीमेन्ट।
4. कोयला ।
5. सूती वस्त्र ।
6. खाद्य पदार्थ ।
7. लोहा और इस्पात।
8. रक्षा स्थापन ।
9. अस्पतालों और औषधालयों में सेवा ।
10. अग्निशामक सेवा।

[3][11. भारत सरकार की टकसाले।]

12. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ।

[4][13. ताम्र खनन।

14. सीसा खनन ।
15. जस्ता खनन ।]

[5][16. लौह अयस्क खनन।]

[6][17. किसी तेल क्षेत्र में सेवा ।]

[7]18. ******]

[8][19. यूरेनियम उद्योग में सेवा ।

[9][20. पाइराइटीज खनन।

21. सीक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद।

[10][22. बैक नोट प्रेस देवास में सेवा।

[1][23. फास्फोराइट खनन ।]

[2][24. मैग्रेसाइट खनन ।]

[3][25. करेन्सी नोट प्रेस।]

[4][26. खनिज तेल (क्रूड आयल), मोटर और एवीएशन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, फ्यूल तेल डाइवर्स हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिसमें सिन्थेटिक फ्यूल, ल्यूब्रीकेटिंग तेल और उनके सादृश्य सम्मिलित हैं, के बनाने या उत्पादन ।]

[5][27. अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत मे सेवा।

[6][28. न्यूक्लियर फ्यूल एवं उसके अवयव, हैवी वाटर और सादृश्य रसायन और आणविक ऊर्जा को बनाने या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापना ।

[7][29. फ्यूल गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और उसके सादृश्य) का प्रक्रमण या उत्पादन ।

दूसरी अनुसूची
(धारा 7 देखिए)
श्रम न्यायालयों की अधिकारिता के अन्दर के विषय

1. स्थायी आदेशों के अधीन किसी नियोजक द्वारा पारित आदेश औचित्य या वैधता;
2. स्थायी आदेशों को लागू करना और उनका निर्वचन;
3. कर्मकारों का उन्मोचन या पदच्युति, जिसके अन्तर्गत दोषत: पदच्युत कर्मकारों का पुनःस्थापन या उन्हें अनुतोष का अनुदान आता है;
4. किसी रूढ़िजन्य रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण,
5. किसी हड़ताल या तालाबंदी का अवैध होना या न होना, तथा
6. तीसरी अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न सभी विषय ।

[9][तीसरी अनुसूची
(धारा 7क- देखिए)
औद्योगिक अधिकरणों की अधिकारिता के अन्दर के विषय

1. मजदूरी, जिसके अन्तर्गत की कालावधि और ढंग आता है;
2. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते;
3. काम के घंटे और विश्राम-अन्तराल;
4. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन;
5. बोनस, लाभों का अंश बांटना, भविष्य-निधि और उपदान;
6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम किया जाना;
7. श्रेणियों में वर्गीकरण;
8. अनुशासन के नियम;
9. सुव्यवस्थीकरण;
10. कर्मकारों की छंटनी और स्थापन का बन्द होना; तथा
11. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

[1][चौथी अनुसूची
(धारा 9क देखिए)
सेवा की वे शर्तें जिन्हें बदलने के लिए सूचना दी जानी है

1. मजदूरी, जिसके अन्तर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है :
2. किसी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन किसी भविष्य-निधि या पेंशन-निधि में या कर्मकारों के फायदे के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय अभिदाय;
3. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते;
4. काम के घंटे और विश्राम-अन्तराल;
5. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन;
6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम आरम्भ किया जाना उसमें

परिवर्तन या उसका बन्द किया जाना;

7. श्रेणियों में वर्गीकरण;
8. किसी रूढिक रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण या प्रथा में तब्दीली;
9. वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे स्थायी आदेशों में उपबन्धित किए गए हैं, अनुशासन के नए नियम प्रवृत करना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना;
10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधारक जिससे कर्मकारों की छंटनी संभाव्य हो;
11. किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित किए गए या किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में (आकस्मिक से भिन्न) कोई ऐसी वृद्धि या कमी करना, जो [2][ऐसी परिस्थितियों के कारण न हुई हो, जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है।]

[3][पांचवी अनुसूची
[धारा 2 (दक) देखिए]
अनुचित श्रम व्यवहार

I. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. कोई व्यवसाय संघ संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने अथवा सामूहिक रूप से सौदा करने या अन्य पारस्परिक सहायता या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए मिलकर क्रियाकलाप करने के कर्मकारों के अधिकारों का उनके द्वारा प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना या उन पर दबाव डालना, अर्थात् :-
   (क) यदि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होंगे तो उन्हें सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना;
   (ख) यदि व्यवसाय संघ संगठित किया जाएगा तो तालाबन्दी या कामबन्दी की धमकी देना;
   (ग) व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के संकटमय समयों पर मजदूरी वृद्धि मंजूर करना।
2. किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, ऐसे किसी व्यवसाय संघ में हस्तक्षेप करना या उसे वित्तीय या अन्यथा, सहायता देना, अर्थात-
   (क) नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, और
   (ख) जहां कोई व्यवसाय संघ, मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां अपने कर्मकारों या उनके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति नियोजक द्वारा पक्षपात दर्शित करना या उनका पक्ष लेना।
3. कर्मकारों के ऐसे व्यवसाय संघों को स्थापित करना जो नियोजक द्वारा प्रायोजित हो ।
4. कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता को किसी कर्मकार के प्रति भेदभाव करके प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात्-

(क) किसी कर्मकार को इस कारण सेवोन्मुक्त या दण्डित करना कि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या उसे संगठित करने के लिए प्रेरित किया था;

(ख) किसी कर्मकार को, किसी हड़ताल (ऐसी हडताल न हो जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हडताल समझी जाती है) में शामिल होने के कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना;

(ग) किसी कर्मकार की ज्येष्ठता को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण परिवर्तित करना;

(घ) किसी कर्मकार की उसके व्यवसाय सघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण उच्च पद पर प्रोन्नत करने से इंकार करना;

(ङ) कुछ कर्मकारों को योग्यता के बिना इस दृष्टि से प्रोन्नति देना कि अन्य कर्मकारों के बीच वैमनस्य पैदा हो या उनके व्यवसाय संघ की ताकत घटे;

(च) व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण सेवोन्मुक्त करना।

5. कर्मकारों को-

(क) दण्डित किए जाने की दृष्टि से;

(ख) सद्भाव के बिना, किन्तु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके;

(ग) किसी कर्मकार को किसी आपराधिक मामले में मिथ्या साक्ष्य पर या गढे हुए साक्ष्य पर

मिथ्या आलिप्त करके:

(घ) स्पष्टतया मिथ्या कारणों से;

(ङ) इजाजत के बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर;

(च) आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्णत: अवहेलना करके या

असम्यक् जल्दबाजी करके:

(छ) मामूली या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण और उस विशेष अवचार की प्रकृति पर

ध्यान दिए बिना या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना जिससे कि अवचार के मुकाबले दण्ड अधिक हो जाए, सेवान्मुक्त या पदच्युत करना।

6. कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारो को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हों।
7. किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सद्भाव के बिना, प्रबन्ध की नीति अनुसरण करने के बहाने से, स्थानान्तरण करना।
8. ऐसे कर्मकारों पर, जो वैध हड़ताल कर रहे हैं, पुन: काम करने की अनुज्ञा देने के पूर्व शर्त के रूप में अच्छे आचरण के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालना।
9. योग्यता का ध्यान रखे बिना कर्मकार को किसी एक समूह के लिए पक्ष लेना या उनके लिए

पक्षपात करना।

10. स्थायी कर्मकारों की हैसियत और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से कर्मकारों को "बदली"आकस्मिक या स्थायी रूप में नियोजित करना और उन्हे उस रूप में वर्षो तक चलते रहने देना।
11. किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या उसके विरुद्ध भेदभाव करना।
12. ऐसी हड़ताल के दौरान, जो अवैध हड़ताल नहीं हैं, कर्मकारों को भर्ती करना।
13. अधिनिर्णय, समझौता या करार को कार्यान्वित करने में असफलता।
14. बल प्रयोग या हिसा के कार्यो में शामिल होना।
15. मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सदभावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इंकार करना।
16. ऐसी तालाबन्दी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाए।

II. कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाने वाली हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से इसके लिए समर्थन करना या दुष्प्रेरित करना।

2. कर्मकारों के स्वयं-संगठन के अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना या व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रविरत रहना, अर्थात-
   (क) किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से धरना देना जिसके फलस्वरूप हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थानों में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से वंचित रहे;
   (ख) हड़ताल न करने वाले कर्मकारों या प्रबन्धकीय कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसक कार्यो में शामिल होना या हड़ताल के संबंध में अभित्रास की धमकियां देना।
3. मान्यता प्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सदभावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इंकार करना।
4. सौदा प्रतिनिधि के प्रमाणन के विरुद्ध दबाव डालने वाले क्रियाकलापों में शामिल होना।
5. दबाव डालने वाले ऐसे कार्य, जैसा कि जानबूझकर "धीमी गति" काम के घंटों के पश्चात् काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारीवृन्द का "घेराव" करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना।
6. नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के निवास-स्थानों पर प्रदर्शन करना।
7. उद्योग से संबंधित नियोजक की सम्पत्ति को नष्ट करने के लिए उद्दीप्त करना या जानबूझकर शामिल होना।
8. किसी कर्मकार के विरुद्ध उसे काम पर जाने से प्रविरत करने की दृष्टि से बल या हिंसा के कार्यो में शामिल होना या अभित्रास की धमकियां देना।